

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16112024-258675
CG-DL-E-16112024-258675

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4532]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 13, 2024/ कार्तिक 22, 1946

No. 4532]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 13, 2024/KARTIKA 22, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2024

का.आ. 4913 (अ).— केन्द्र सरकार मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उपधारा (3) एवं धारा 110 की उपधारा (3) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से बारह माह की अवधि के लिए वडोदरा से पावरग्रिड (खावड़ा) तक सात ट्रांसफार्मर, वडोदरा से पावरग्रिड (दौसा) तक सात ट्रांसफार्मर और वडोदरा से पावरग्रिड (भाडला III) तक सात ट्रांसफार्मर जिनका अधिकतम सुरक्षित लदान भार/कुल सकल भार और आकार संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है।

अनुसूची

- मैसर्स रामेश्वर ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड उपरोक्त परिवहन के लिए इन इक्कीस ट्रांसफार्मरों के परिवहन हेतु ट्रांसपोर्टर है।
- निम्नलिखित प्राइम मूवर्स, खेप की आवाजाही में इस्तेमाल किए जाएंगे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रम सं.	प्राइम मूवर्स की पंजीकरण संख्या	मेक
1.	जीजे-27-टीटी-8299	भारतबेंज-281.4
2.	एचआर-38-एजी-1299	आयशर-345.72
3.	एचआर-38-एजी-1399	आयशर-345.72

4.	जीजे-27-टीडी-4596	आयशर-345.72
5.	जीजे-27-टीडी-4750	आयशर-345.72
6.	जीजे-27-टीएफ-8399	आयशर-350
7.	एचआर-58-डी-8899	आयशर-350
8.	जीजे-01-डीएक्स-4499	वोल्वो-400
9.	जीजे-01-डीवाई-5399	वोल्वो-400
10.	जीजे-01-सीवी-5599	वोल्वो-400
11.	जीजे-01-सीटी-6399	वोल्वो-400
12.	जीजे-01-सीयू-7899	वोल्वो-400
13.	एचआर-58-डी-2499	वोल्वो-500
14.	एचआर-58-डी-4099	वोल्वो-500
15.	एचआर-58-डी-4199	वोल्वो-500
16.	एचआर-58-डी-8999	वोल्वो-500
17.	एचआर-38-एएच-7999	वोल्वो-500
18.	जीजे-27-टीटी-0521	वोल्वो-520
19.	जीजे-27-टीटी-0937	वोल्वो-520
20.	जीजे-27-टीटी-1609	वोल्वो-520
21.	जीजे-27-टीडी-2380	वोल्वो-520
22.	जीजे-27-वी-4717	वोल्वो-520
23.	एचपी-97-5044	वोल्वो-520
24.	जीजे-27-टीडी-5166	वोल्वो-520
25.	जीजे-01-डीवी-5499	वोल्वो-520

3. उपरोक्त गतिविधियों में निम्नलिखित स्वतंत्र रूप से पंजीकृत मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलरों का उपयोग किया जाएगा:-

क्र. सं.	ट्रेलर्स की पंजीकरण सं.	मेक	ट्रेलरों में धुरियों की सं.	अनुमेय सकल वाहन भार (टन में)
1.	एचआर-38-वाई-9146	टी II	6	156
2.	एचआर-38-वाई-4151	टीII	4	104
3.	एचआर-38-वाई-1969	टीII	4	104
4.	एचआर-55-एडी-0970	टीII	4	104
5.	एचआर-38-जेड-9122	टीII	4	104
6.	एचआर-38-जेड-3887	टीII	4	104
7.	एचआर-38-जेड-0532	टीII	6	156

8.	एचआर-38-जेड-4737	टी॥	2	52
9.	एचआर-38-जेड-1642	टी॥	4	104
10.	एचआर-38-जेड-5658	टी॥	4	104
11.	एचआर-38-जेड-1559	टी॥	4	104
12.	एचआर-38-जेड-6897	टी॥	4	104
13.	एचआर-55-एजी-8096	टी॥	6	156
14.	एचआर-55-एजी-2982	टी॥	2	52
15.	एचआर-55-एएच-4657	टी॥	8	208
16.	एचआर-55-एएच-6821	टी॥	8	208
17.	एचआर-38-एडी-8395	टी॥	6	108
18.	एचआर-38-एडी-0979	टी॥	6	108
19.	एचआर-38-एडी-7275	टी॥	4	72
20.	डीडी-01-सी-9940	टी॥	6	108
21.	एचआर-38-एई-9015	टी॥	4	72
22.	एचआर-38-एई-1047	टी॥	6	108
23.	एचआर-38-एई-4147	टी॥	6	108
24.	एचआर-38-एडी-7995	टी॥	4	72
25.	एचआर-38-एडी-5469	टी॥	4	72
26.	एचआर-38-एडी-6636	टी॥	4	72
27.	डीडी-01-सी-9928	टी॥	6	108
28.	डीडी-01-सी-9232	टी॥	4	72
29.	डीडी-01-सी-9677	टी॥	4	72
30.	एचआर-38-एडी-4533	टी॥	6	108
31.	एचआर-38-एडी-9971	टी॥	6	108
32.	एचआर-38-एएफ-3174	टी॥	4	72
33.	एचआर-38-एएफ-7791	टी॥	4	72
34.	जीजे-01-एचटी-4187	टीआर.ग्लोब	4	99
35.	जीजे-01-एचटी-4471	टीआर.ग्लोब	4	99
36.	जीजे-01-एचटी-4346	टीआर.ग्लोब	6	149
37.	एचआर-58-डी-8820	टीआर.भीम	4	72
38.	एचआर-58-डी-0950	टीआर.भीम	4	72
39.	एचआर-58-डी-1362	टीआर.भीम	4	72
40.	एचआर-58-डी-7029	टीआर.भीम	4	72
41.	एचआर-58-डी-3817	टीआर.भीम	6	108
42.	एचआर-38-एएच-7752	टीआर.भीम	4	72
43.	एचआर-38-एएच-1248	टीआर.भीम	4	72

44.	एचआर-55-एएल-6341	टीआर.भीम	4	72
45.	एचआर-55-एएल-5518	टीआर.भीम	4	72
46.	जीजे-27-टीटी-3837	वीएमटी	4	72
47.	जीजे-27-टीटी-3761	वीएमटी	4	72
48.	एचआर-55-एबी-8207	वीएमटी	4	72
49.	एचआर-55-एबी-3445	वीएमटी	6	108
50.	एचआर-38-वाई-4451	वीएमटी	4	72
51.	एचआर-38-एए-0616	वीएमटी	2	36
52.	एचआर-38-एएच-0644	वीएमटी	4	72
53.	एचआर-55-एजी-6392	वीएमटी (एच)	4	104
54.	एचआर-55-एजी-6847	वीएमटी (एच)	4	104
55.	एचआर-55-एजी-5349	वीएमटी (एच)	6	156

4. यान और भार विन्यास :- लदी हुई स्थिति में धुरी का सकल यान भार (जीवीडब्ल्यू) और खेप का समग्र आयाम निम्नानुसार होगा:-

क्र. सं.	खेप का नाम	खाली धुरी पंक्तियों का भार (एमटी में)	खेप का भार (एमटी में)	यान का लदान के साथ भार (मीट्रिक टन)	प्रति धुरी भार रेखा (एमटी)	यान की लदी ऊंचाई (मीटर में)	खेप का समग्र आयाम (मीटर में)			लंबाई और चौड़ाई में धुरों के युग्मन का विवरण
							लं. (एम)	चौ. (एम)	ऊ. (एम)	
I.	ट्रांसफार्मर (आईसीटी)	26.64	95.4	122.04	15.26	6.375	4.5	4.35	5.2	8 धुरी पंक्तियों को सीधी रेखा में जोड़ा जाएगा। (प्रति धुरी पंक्ति 8 टायर)
II.	ट्रांसफार्मर (आईसीटी)	46.62	186.00	232.62	16.62	6.175	6.5	4.7	5.0	14 धुरी पंक्तियों को सीधी रेखा में जोड़ा जाएगा। (प्रति धुरी पंक्ति 8 टायर)

III.	ट्रांसफार्मर (आईसीटी)	46.62	186.00	232.62	16.62	6.175	6.5	4.7	5.0	14 धुरी पंक्तियों को सीधी रेखा में जोड़ा जाएगा। (प्रति धुरी पंक्ति 8 टायर)
------	--------------------------	-------	--------	--------	-------	-------	-----	-----	-----	--

5. उपरोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है कि:-

क्रमांक 4(i) में उल्लिखित ट्रांसफार्मरों के परिवहन का विशिष्ट मार्ग जी.ई., कोटम्बी, वडोदरा से पावर ग्रिड, खावड़ा तक इस सड़क मार्ग के जरिए होगा।

वडोदरा - अहमदाबाद - बागोदरा - लिंबडी - चोटिला - राजकोट - मोरबी - मालिया - सामाखियाली - भचाऊ - भुज - नखत्राणा - देवीसर - निरोना - खावड़ा - पावर ग्रिड- (800 किलोमीटर)

क्रमांक 4(ii) में उल्लिखित ट्रांसफार्मरों के परिवहन का विशिष्ट मार्ग जी.ई., कोटम्बी, वडोदरा से पावर ग्रिड, दौसा तक इस सड़क मार्ग के जरिए होगा।

वडोदरा - अहमदाबाद - मेहसाणा - पालनपुर - आबू रोड - पिंडवाड़ा - सिरौही - पायली - अजमेर - किशनगढ़ - जयपुर - दौसा - (978 किलोमीटर)

क्रमांक 4(iii) में उल्लिखित ट्रांसफार्मरों के परिवहन के लिए विशिष्ट मार्ग जीई, कोटम्बी, वडोदरा से पावर ग्रिड, भादला (III) तक इस सड़क मार्ग के जरिए होगा -

वडोदरा - अहमदाबाद - मेहसाणा - पालनपुर - आबू रोड - पिंडवाड़ा - सिरौही - पाली - जोधपुर - फलोदी - बाप - भादला - (900 किलोमीटर)

(ii) लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सड़कों और पुलों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और यानों को सड़कों पर लाने से पहले, ऐसे प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रेलरों का प्रत्येक प्रचालन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

(iii) ट्रांसपोर्टर इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण /राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड इस संबंध में आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।

(iv) ट्रांसपोर्टर, यानों को सड़कों पर लाने से पहले, किसी भी वस्तु जैसे होर्डिंग्स, पोल, साइनबोर्ड को हटाने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन बंद कराना इत्यादि के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के संबंधित विभागों से आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा और इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड इस संबंध में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अनुमत, किसी भी वस्तु को हटाने और पुनर्विकास कराने की लागत मैसर्स रामेश्वर ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वहन की जाएगी।

(v) ट्रांसपोर्टर बड़े आकार के कार्गो को देखते हुए, ऐसे यानों की प्रत्येक आवाजाही के संबंध में राज्य सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकरण या अधिकारी को कम से कम दस दिन पहले सूचना देगा। ऐसे प्रत्येक गमनागमन के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय निर्धारित किया जाना चाहिए।

(vi) यदि ऐसा किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो लदे हुए यानों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सड़कों पर पुलों के ऊपर या नीचे से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालों को पार करने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(vii) ट्रांसपोर्टर राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जहां सड़कों या सड़क संरचनाओं/ पुलों / अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं/ व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान ट्रेलरों की

आवाजाही के कारण होता है।

(viii) सड़क की लंबाई के साथ ट्रेलरों के युग्मन की अनुमति केवल उपरोक्त आवाजाही के लिए होगी।

(ix) उक्त यानों का परिवहन, यातायात के सामान्य प्रवाह में बिना किसी बाधा के होना चाहिए।

(x) यान पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बत्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे यानों के आगे तथा पीछे एक-एक यान स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ यान गुजर रहा है।

(xi) सड़क पर चलने के लिए ट्रेलरों की अधिकतम गति 5 कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(xii) ट्रेलरों की संपूर्ण चौड़ाई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने/पार्किंग के लिए आगे और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे यान की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।

(xiii) ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त आवाजाही के दौरान उपयोग किए जाने वाले सभी यानों के संबंध में रोड टैक्स का भुगतान किया गया है, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा कवर (तृतीय पक्ष बीमा सहित), राष्ट्रीय परमिट और पीयूसी प्राप्त किया गया है।

(xiv) टैलरों और प्राइम मूवर्स के पंजीकरण प्रमाणपत्रों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा क्योंकि वे पहले से ही, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दमन दीव संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकृत हैं।

(xv) किसी यान (यानों) या अन्य पंजीकृत स्वामियों से प्राप्त यान (यानों) के भाग से उत्पन्न होने वाले मुद्दे की स्थिति में, ट्रांसपोर्टर स्वयं जिम्मेदार होगा।

(xvi) खेप के परिवहन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकृति का कोई भी मुद्दा, ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी।

[फा. सं. आरटी-11042/03/2022-एमवीएल]

महमूद अहमद ,अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2024

S.O. 4913 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for period of twelve months from the date of issue of this notification for transportation of seven Transformers from Vadodra to Powergrid (Khavda), seven Transformers from Vadodra to Powergrid (Dausa) and seven Transformers from Vadodra to Powergrid (Bhadla III) by road with maximum safe laden weight/Gross Vehicles Weight and dimensions, as mentioned in the schedule appended hereto.

SCHEDULE

1. M/s Rameshwar Transport Company Private Limited is the transporter for transportation of these twenty one transformers for the aforesaid movement.

2. Following Prime Movers will be utilized in the movement of the subject consignment as detailed below:-

Sl. No.	Registration No. of Prime Movers	Make
1	GJ-27-TT-8299	BHARATBENZ-281.4
2	HR-38-AG-1299	Eicher-345.72
3	HR-38-AG-1399	Eicher-345.72
4	GJ-27-TD-4596	Eicher-345.72
5	GJ-27-TD-4750	Eicher-345.72
6	GJ-27-TF-8399	Eicher-350
7	HR-58-D-8899	Eicher-350
8	GJ-01-DX-4499	Volvo-400

9	GJ-01-DY-5399	Volvo-400
10	GJ-01-CV-5599	Volvo-400
11	GJ-01-CT-6399	Volvo-400
12	GJ-01-CU-7899	Volvo-400
13	HR-58-D-2499	Volvo-500
14	HR-58-D-4099	Volvo-500
15	HR-58-D-4199	Volvo-500
16	HR-58-D-8999	Volvo-500
17	HR-38-AH-7999	Volvo-500
18	GJ-27-TT-0521	Volvo-520
19	GJ-27-TT-0937	Volvo-520
20	GJ-27-TT-1609	Volvo-520
21	GJ-27-TD-2380	Volvo-520
22	GJ-27-V-4717	Volvo-520
23	HP-97-5044	Volvo-520
24	GJ-27-TD-5166	Volvo-520
25	GJ-01-DV-5499	Volvo-520

2. The following independently registered modular hydraulic Trailers will be utilized in the above movements:-

The following independently registered modular hydraulic Trailers will be utilized in the above movements:-S. No.	Registration No. of Trailers	Make	No. of Axles in Trailers	Permissible Gross Vehicle Weight (in Tons)
1	HR-38-Y-9146	TII	6	156
2	HR-38-Y-4151	TII	4	104
3	HR-38-Y-1969	TII	4	104
4	HR-55-AD-0970	TII	4	104
5	HR-38-Z-9122	TII	4	104
6	HR-38-Z-3887	TII	4	104
7	HR-38-Z-0532	TII	6	156
8	HR-38-Z-4737	TII	2	52
9	HR-38-Z-1642	TII	4	104
10	HR-38-Z-5658	TII	4	104
11	HR-38-Z-1559	TII	4	104
12	HR-38-Z-6897	TII	4	104
13	HR-55-AG-8096	TII	6	156
14	HR-55-AG-2982	TII	2	52
15	HR-55-AH-4657	TII	8	208
16	HR-55-AH-6821	TII	8	208

17	HR-38-AD-8395	TII	6	108
18	HR-38-AD-0979	TII	6	108
19	HR-38-AD-7275	TII	4	72
20	DD-01-C-9940	TII	6	108
21	HR-38-AE-9015	TII	4	72
22	HR-38-AE-1047	TII	6	108
23	HR-38-AE-4147	TII	6	108
24	HR-38-AD-7995	TII	4	72
25	HR-38-AD-5469	TII	4	72
26	HR-38-AD-6636	TII	4	72
27	DD-01-C-9928	TII	6	108
28	DD-01-C-9232	TII	4	72
29	DD-01-C-9677	TII	4	72
30	HR-38-AD-4533	TII	6	108
31	HR-38-AD-9971	TII	6	108
32	HR-38-AF-3174	TII	4	72
33	HR-38-AF-7791	TII	4	72
34	GJ-01-HT-4187	TR.GLOBE	4	99
35	GJ-01-HT-4471	TR.GLOBE	4	99
36	GJ-01-HT-4346	TR.GLOBE	6	149
37	HR-58-D-8820	TR.BHIM	4	72
38	HR-58-D-0950	TR.BHIM	4	72
39	HR-58-D-1362	TR.BHIM	4	72
40	HR-58-D-7029	TR.BHIM	4	72
41	HR-58-D-3817	TR.BHIM	6	108
42	HR-38-AH-7752	TR.BHIM	4	72
43	HR-38-AH-1248	TR.BHIM	4	72
44	HR-55-AL-6341	TR.BHIM	4	72
45	HR-55-AL-5518	TR.BHIM	4	72
46	GJ-27-TT-3837	VMT	4	72
47	GJ-27-TT-3761	VMT	4	72
48	HR-55-AB-8207	VMT	4	72
49	HR-55-AB-3445	VMT	6	108
50	HR-38-Y-4451	VMT	4	72
51	HR-38-AA-0616	VMT	2	36
52	HR-38-AH-0644	VMT	4	72
53	HR-55-AG-6392	VMT (H)	4	104
54	HR-55-AG-6847	VMT (H)	4	104
55	HR-55-AG-5349	VMT (H)	6	156

4. Vehicle and Load Configuration:- Gross Vehicle Weight (GVW) of the axles in laden condition and overall

dimension of consignment will be:-

S. No.	Consignment Name	Unladen Weight axles in Tons (MT)	Weight of Consignment (MT)	Laden Weight of the Vehicle (MT)	Load Per Axle line (MT)	Laden Height of Vehicle (in meters)	Overall dimension of consignment (in meters)			Description of Coupling of axles in length and width
							L (m)	W (m)	H (m)	
i	Transformer (ICT)	26.64	95.4	122.04	15.26	6.375	4.5	4.35	5.2	8 axle rows with will be coupled in straight line. (8 tyres per axle row)
ii	Transformer (ICT)	46.62	186.00	232.62	16.62	6.175	6.5	4.7	5.0	14 axle rows with will be coupled in straight line. (8 tyres per axle row)
iii	Transformer (ICT)	46.62	186.00	232.62	16.62	6.175	6.5	4.7	5.0	14 axle rows with will be coupled in straight line. (8 tyres per axle row)

5. The above relaxation is subject to the conditions that:-

- i. The specific route for transportation of the transformers mentioned at serial number 4(i) will be from GE, Kotambi, Vadodara to Power Grid, Khavda by road through-
Vadodara – Ahmedabad – Bagodara – Limbdi – Chotila – Rajkot – Morbi – Malia – Samakhiali – Bhachau – Bhuj – Nakhatrana – Devisar – Nirona – Khavda – Power Grid- (800 Kms)

The specific route for transportation of the transformers mentioned at serial number 4(ii) will be from GE, Kotambi, Vadodara to Power Grid, Dausa by road through-

Vadodara – Ahmedabad – Mehsana – Palanpur – Abu Road – Pindwara – Sirohi – Paili – Ajmer – Kishangarh – Jaipur – Dausa – (978 Kms)

The specific route for transportation of the transformers mentioned at serial number 4(iii) will be from GE, Kotambi, Vadodara to Power Grid, Bhadla(III) by road through-

Vadodara – Ahmedabad – Mehsana – Palanpur – Abu Road – Pindwara – Sirohi – Pali – Jodhpur – Phalodi – Bap - Bhadla- (900 Kms)

- ii. Load restrictions on various roads and bridges stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India/NHIDCL will be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are put on the roads. Movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from safety point of view.
- iii. The transporter will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India/NHIDCL may by order specify in this behalf.

- iv. The transporter will obtain necessary prior permissions from the concerned departments of the State/Union Territory Government for the removal of any objects like hoardings, poles, signboards, transmission line shutdown etc. and observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India/NHIDCL may by order specify in this behalf, before the vehicles are put on road. Cost of removal and redevelopment of any object permitted by the State/Union Territory Government shall be borne by the M/s Rameshwar Transport Company Private Limited.
- v. The transporter will give intimation at least ten days in advance and would need to obtain permission before commencement of transit, from concerned authority of State or Union Territory Authorities/National Highway Authority of India/NHIDCL en-route, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.
- vi. If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India/NHIDCL, the loaded vehicles will not be allowed to pass over or under the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make their own arrangements to cross the rivers/drains.
- vii. The transporter would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India/NHIDCL or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/bridges/other road users/persons directly or indirectly due to the movement of the trailers.
- viii. Coupling of the trailers along the length of the road will be permissible only for above movements.
- ix. The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.
- x. The vehicles should display all danger flags and lights, the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.
- xi. The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 5 km/hr.
- xii. The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra stripes on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly.
- xiii. The transporter will ensure that road taxes have been paid, fitness certificate, insurance cover(including Third Party Insurance), National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized during the above movement.
- xiv. No change will be made in the Registration Certificates of the Trailers and Prime Movers as they are already registered in the state of Haryana, Gujarat, Himachal Pradesh and union territory of Daman and Diu.
- xv. In case of issues arising of any vehicle(s) or part of vehicle(s) out sourced from other registered owners, the transporter shall bear responsibility for the same.
- xvi. Any issue of any nature arising during the transportation of subject consignment shall be the responsibility of the transporter.

[F.No. RT-11042/03/2022-MVL]
MAHMOOD AHMED, Addl Secy